न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 80 / 2017

निर्णय दिनांक:– 15.7.2015

उनवान

1.श्योजी पुत्र औंकार जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2.मन्नी पत्नी राधेश्याम उर्फ मन्नी पुत्री राधेश्याम जाति माली निवासी अलीगढ हाल पचाला तह0 उनियारा

– वादीगण

बनाम

1.दोलतराम पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2.नेहनूलाल पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
3.कमला पुत्री छीतर जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
4.अचरूप पुत्री छीतर जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
5.राहुल पुत्र स्यानी (माता) जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
6.सुनील पुत्र स्यानी जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
7.संतोष पुत्री स्यानी जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
8.आशाबाई पुत्री स्यानी जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
9.मन्ना पुत्र तेज्या जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
10.तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दु0 इन्द्राज, उदंघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– वादी श्योजी व प्रतिवादीगण दोलतराम वगैरह

व

दावा संख्या :– 17 / 2015

निर्णय दिनांक:– 15.7.2015

उनवान

1.श्योजी पुत्र औंकार जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2.मन्नी पत्नी राधेश्याम पुत्री औंकार जाति माली निवासी अलीगढ तह0 उनियारा

– वादीगण

बनाम

1. भेरू पुत्र भूरा जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2. अम्बालाल पुत्र भूरा जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
3. गंगाधर पुत्र भूरा जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
4. श्योजी पुत्र रामफूल जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
5. बाबू पुत्र रामफूल जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
6. रामकन्या बेवा रामफूल जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
7. तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दु0 इन्द्राज, उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– वादी श्योजी व प्रतिवादीगण भेरू वगैरह

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

निर्णय

उपरोक्त दोनों वादों की प्रकृति एक जैसी ही होने से दोनों वादों को एक साथ सुनकर निर्णय किया जा रहा है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र गगाम पंचायत अलीगढ पर प्रस्तुत हुयी। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थिति हुये। दोनों पक्षों को सुना गया। दोनों पक्ष साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार हाल राजस्व नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती कराये जाने हेतु सहमत है। वादी का यह भी कथन है कि यदि उसके खातेदारी की भूमि भी साबिक शीट के अनुसार रास्ते मे आ रही हो तो उसे भी रास्ते में दर्ज करने मे कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक मोका रिपोर्ट मोके पर वर्तमान मे आने जाने का रास्ता पुरानी शीट के अनुसार ही ख0न0 133 का बना हुआ है। वर्तमान शीट मे ख0न0 146 की मेड को आगे बढाने के कारण मोके पर ववाद उत्पन्न हुआ है। वर्तमान मे ख0न0 188 रकबा 0.74 गे0मु0 रास्ता दर्ज है। ख0न0 128/951 रकबा 0.08 व 144/1020 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 146 रकबा 0.16 दोलतराम नेहनूलाल वगैरह बैरवा की खातेदारी मे दर्ज है। मोके पर उक्त चारों ख0न0 188, 128/951, 146, 144/1020 मे से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। वर्तमान ख0न0 159 रकबा 0.19 भेरू अम्बालाल वगैरह की खातेदारी मे दर्ज है, का कुछ हिस्सा भी पुरानी शीट के अनुसार रास्ते मे आता है।

पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2028–2031 वाके ग्राम अलीगढ मे साबिक ख0न0 117 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व साबिक ख0न0 133 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा रास्ता गे0मु0 दर्ज है। साबिक नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने पर पाया गया कि साबिक नक्शा ट्रेस मे उक्त खसरा नम्बरान मे रास्ता दर्ज है। हाल राजस्व रेकार्ड मे ख0न0 188 रकबा 0.74 गे0मु0 रास्ता दर्ज है। ख0न0 128/951 रकबा 0.08 व 144/1020 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 146 रकबा 0.16 दोलतराम नेहनूलाल वगैरह बैरवा की खातेदारी मे दर्ज है। ख0न0 159 रकबा 0.19 भेरू अम्बालाल वगैरह की खातेदारी मे दर्ज है। जिनका कुछ हिस्सा भी रास्ते मे आता है। रास्ता सार्वजनिक है, जिसका उपयोग सभी के काम मे आ रहा है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादी के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझता है। अतः वांद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे हाल ख0न0 188, 128/951, 144/1020, 146 व 159 मे साबिक नक्शा शीट मे अंकित ख0न0 133 मे अंकित रास्ते के अनुसार ही हाल नक्शा शीट मे तरमीम करे। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.7.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

(मूल वाद में डिक्री)
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट) अटल सेवा केन्द्र ग्रा0पं0 अलीगढ

दावा संख्या :– 80 / 2015
निर्णय दिनांक:– 15.7.2015

उनवान

1.श्योजी पुत्र औंकार जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2.मन्नी पत्नी राधेश्याम उर्फ मन्नी पुत्री राधेश्याम जाति माली निवासी अलीगढ हाल पचाला तह0 उनियारा

– वादीगण

बनाम

1.दोलतराम पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2.नेहनूलाल पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
3.कमला पुत्री छीतर जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
4.अचरूप पुत्री छीतर जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
5.राहुल पुत्र स्यानी (माता) जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
6.सुनील पुत्र स्यानी जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
7.संतोष पुत्री स्यानी जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
8.आशाबाई पुत्री स्यानी जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
9.मन्ना पुत्र तेज्या जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
10.तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दु0 इन्द्राज, उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– वादी श्योजी व प्रतिवादीगण दोलतराम वगैरह
व

दावा संख्या :– 17 / 2015
निर्णय दिनांक:– 15.7.2015

उनवान

1.श्योजी पुत्र औंकार जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2.मन्नी पत्नी राधेश्याम पुत्री औंकार जाति माली निवासी अलीगढ तह0 उनियारा

– वादीगण

बनाम

1. भेरू पुत्र भूरा जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2. अम्बालाल पुत्र भूरा जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
3. गंगाधर पुत्र भूरा जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
4. श्योजी पुत्र रामफूल जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
5. बाबू पुत्र रामफूल जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
6. रामकन्या बेवा रामफूल जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक

7.तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

वादीगण की ओर से श्योजीलाल वादी प्रतिवादी की ओर से दोलतराम वगैरह की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 15.7.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे हाल ख0न0 188, 128 / 951, 144 / 1020, 146 व 159 मे साबिक नक्शा शीट मे अंकित ख0न0 133 मे अंकित रास्ते के अनुसार ही हाल नक्शा शीट मे तरमीम करे। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 7 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner